



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 23]	नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 28, 2019/माघ 8, 1940
No. 23]	NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 28, 2019/MAGHA 8, 1940

---

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2019

सं. पीएम/एनओएआर/2016/केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:**

1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2018 है।

1.2 ये विनियम आयोग द्वारा पृथक् रूप से अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधन:**

2.1 मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाएगा:

“(जख) ‘राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री (एनओएआर)’ से विनियम 3क के अधीन यथा उपबंधित रजिस्ट्री अभिप्रेत है”

**3. नया विनियम 3क –राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री (एनओएआर)**

3.1 मूल विनियम के विनियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नया विनियम “3क” जोड़ा जाएगा:

“राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री (एनओएआर)”

3क(1) एनओएआर अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के लिए एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म होगा और निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् ;

- i. अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के प्रशासन को स्वचालित करना।
- ii. अंतरराज्यिक प्रणाली में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के संबंध में अल्पकालिक ग्राहकों, व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों, पावर एक्सचेंजों, एनएलडीसी, आरएलडीसी, एसएलडीसी और प्रादेशिक विद्युत समितियों सहित स्टेकहोल्डरों को सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना।
- iii. आरएलडीसी या एसएलडीसी को अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के लिए किए गए आवेदनों के ब्योरो को किसी समय बिंदु पर संक्षिप्त करते हुए आवेदनों एवं डैश बोर्ड सुविधा, आरएलडीसी या एसएलडीसी द्वारा अनुमोदित या रद्द किए गए आवेदनों तथा आरएलडीसी या एसएलडीसी के पास लंबित आवेदनों की ऑडिट ट्रेल उपलब्ध करवाना।
- iv. आरएलडीसी या एसएलडीसी द्वारा जारी अंतर-राज्यिक पारेषण में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच, जिसमें स्थायी क्लियरेंस भी सम्मिलित है, पारेषण कारीडोर की उपलब्धता तथा निर्बाध पहुंच ग्राहकों आदि से संबंधित सूचना की रिपोर्टरी के रूप में कार्य करना, और स्टेकहोल्डरों को इस प्रकार की सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करवाना।
- v. अल्पकालिक अंतर-राज्यिक निर्बाध पहुंच संव्यवहारों पर कार्यवाही करने के लिए आरएलडीसी और एसएलडीसी के अल्पकालिक निर्बाध पहुंच अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस करना।
- vi. स्थायी क्लियरेंस की वैधता और टर्मअहेड और डेअहेड संव्यवहारों पर कार्यवाही करने के लिए पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के साथ इंटरफेस करना।
- vii. अल्पकालिक निर्बाध पहुंच संव्यवहारों से संबंधित भुगतानों के लिए भुगतान गेटवे उपलब्ध करवाना और वित्तीय लेखांकन को सरल बनाना तथा अल्पकालिक निर्बाध पहुंच संव्यवहारों की ट्रेकिंग करना।
- viii. बाजार मॉनिटरिंग तथा निगरानी संबंधित गतिविधियों के लिए आवधिक रिपोर्टों को सरल बनाना।
- ix. आयोग द्वारा समय-समय पर, यथासमनुदेशित कोई अन्य कार्य।

(2) अल्पकालिक निर्बाध पहुंच आवेदनों पर एनओएआर के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी और आवेदनों के अनुमोदन या रद्द करने से संबंधित सूचना, अनुसूचियों का पुनरीक्षण या कमी, भुगतान अनुसूची इत्यादि से संबंधित सूचना ईमेल या एसएमएस या संचार के इस प्रकार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपाय के माध्यम से अलर्ट की व्यवस्था सहित संबंधित बाजार भागीदारों को एनओएआर के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा।

(3) एनएलडीसी एनओएआर के कार्यान्वयन और प्रचालन के लिए मॉडल अभिकरण होगा और उसके निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे:

- i. भारत सरकार की साइबर सुरक्षा नीति के अनुसार एनओएआर के साइबर सुरक्षा अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाना,
- ii. कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त आपदा रिकवरी तंत्र बनाना; और
- iii. समय समय पर, एनओएआर के प्रचालनों की समीक्षा करना और यदि अपेक्षित हो, उन पर सुझाव देना।

(4) एनओएआर के कार्यान्वयन और प्रचालन के कारण उपगत अतिरिक्त व्यय, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (आरएलडीसी की फीस और प्रभारों तथा अन्य संबद्ध मामलों) विनियम, 2009 के उपबंधों के अधीन वसूल किए जाने की अनुमति होगी।”

#### 4. मूल विनियम के विनियम 4 (विस्तृत प्रक्रिया) का संशोधन:

4.1 मूल विनियम के विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

“4. इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एनएलडीसी एनओएआर के माध्यम से निर्बाध पहुंच को परिचालित करने के लिए और इन विनियमों के अधीन सम्मिलित न किए गए किसी अवशिष्ट मामले के लिए विस्तृत क्रियाविधि जारी करेगा।

परंतु यह कि एनएलडीसी विस्तृत प्रक्रिया जारी करने से पूर्वस्टेकहोल्डरों से परामर्श करेगा और आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा।”

## 5. मूल विनियम 5 क

5.1 मूल विनियम के विनियम 5 के पश्चात्, निम्नलिखित नया विनियम 5क जोड़ा जाएगा:

“5क. नोडल आरएलडीसी द्वारा द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए और एनएलडीसी द्वारा पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के माध्यम से सामूहिक संव्यवहारों के लिए अल्पकालिक निर्बाध पहुंच आवेदनों पर कार्यवाही एनओएआर के माध्यम से की जाएगी।

## 6. नया विनियम 5ख—एनओएआर में रजिस्ट्रेशन:

6.1 मूल विनियम के विनियम 5क के पश्चात् निम्नलिखित नया विनियम 5ख जोड़ा जाएगा:

### “एनओएआर में रजिस्ट्रेशन

5ख. (1) अल्पकालिक निर्बाध पहुंच आवेदक आरंभिक रूप से विस्तृत क्रियाविधि के अनुसार एनओएआर में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करेगा।

(2) आवेदन के साथ 5000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस संलग्न की जाएगी।

(3) आवेदक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात कार्यदिवस के अंदर रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण तीन वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा और उसके पश्चात् 2000/- रुपये की नवीकरणीय प्रभारों के भुगतान से उसका नवीकरण किया जाएगा।”

## 7. मूल विनियम के विनियम 6 (अल्पकालिक निर्बाध पहुंच आवेदन को प्रस्तुत करना) का संशोधन

7.1 मूल विनियम के विनियम 6 में खण्ड (1) में शब्द “आवेदन नोडल अभिकरण को किए जाएंगे” शब्दों के स्थान पर “आवेदन एनओएआर के माध्यम से नोडलअभिकरण को किए जाएंगे” शब्द रखे जाएंगे।

## 8. मूल विनियम के विनियम 7 (आवेदन फीस) का संशोधन

8.1 विनियम 7 के परन्तुक को हटा दिया जाएगा।

## 9. मूल विनियम के विनियम 8 (द्विपक्षीय एवं सामूहिक संव्यवहारों के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सहमति) का संशोधन

9.1 मूल विनियम के विनियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

“अल्पकालिक संव्यवहारों के लिए भार प्रेषण केन्द्र द्वारा स्थायी विलयरेंस

8. (1) एनओएआर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार पूर्व विनिर्दिष्ट मात्रा और समयावधि के लिए अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच का उपयोग करने के लिए “स्थायी विलयरेंस” के जारी करने के लिए संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी को अल्पकालिक निर्बाध पहुंच आवेदक द्वारा निम्नलिखित घोषणा के साथ किया जाएगा।

i. आवेदन विस्तृत प्रक्रिया में विहित फॉर्मेट में यह घोषणा के साथ दिया जाएगा कि उस ऊर्जा के जिसके लिए आवेदन स्थायी निकासी के लिए आवेदन किया गया है यथास्थिति, विक्रय या क्रय के लिए कोई संविदा नहीं है।

ii. यह घोषणा कि प्रवृत्त ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार, समय ब्लॉकवार मीटरिंग एवं लेखांकन के लिए आवश्यक अवसंरचना है।

(2) स्थायी विलयरेंस के लिए आवेदन पर कार्यवाही करते समय, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी निम्नलिखित को सत्यापित करेगा, अर्थात्

- i. प्रवृत्त ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार, समय ब्लॉकवार ऊर्जा मीटरिंग एवं लेखांकन के लिए आवश्यक अवसंरचना विद्यमान है।
  - ii. यथास्थिति, अंतःराज्यिक/अंतर-राज्यिक नेटवर्क में अधिशेष पारेषण क्षमता की उपलब्धता है।
  - iii. इस विनियम के खण्ड (1) के अनुसार घोषणा प्रस्तुत की है।
- (3) जहां आवश्यक अवसंरचना विद्यमान हो, यथास्थिति, अंतर-राज्यिक पारेषण या अंतःराज्यिक पारेषण में अधिशेष पारेषण क्षमता की उपलब्धता और यथाअपेक्षित घोषणा इस विनियम के खण्ड (1) के अधीन की गई हो, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी, अल्पकालिक निर्बाध पहुंच ग्राहक को स्थायी विलयरेस जारी करेगा :

परंतु यह कि :

- i. यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी इस प्रकार के आवेदन की प्राप्ति के तीन(3) कार्यदिवसों के अन्दर स्थायी विलयरेस जारी करेगा।
  - ii. स्थायी विलयरेस उस समय के तीन(3)मास की अधिकतम अवधि के लिए वैध, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी द्वारा, जारी किया जाएगा जिसके बाद स्थायी विलयरेस के जारी करने के बाद के लिए अल्पकालिक निर्बाध पहुंच ग्राहक द्वारा नया आवेदन किया जाएगा।
  - iii. जब किसी इकाई द्वारा विक्रेता या क्रेता पहली बार अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन किया गया है तो यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी आवेदन की प्राप्ति के सात(7) कार्यदिवसों के भीतर आवेदक को स्थायी विलयरेस जारी करेगा।
- (4) यदि, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी, को यह पता लगता है कि स्थायी विलयरेस के लिए किया गया आवेदन अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण है तो वह आवेदन की प्राप्ति के दो(2) कार्यदिवसों के भीतर एनओएआर के माध्यम से आवेदक को ऐसी कमी या त्रुटि के बारे में सूचित करेगा :

परंतु यह कि उन मामलों में जहां, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी ने आवेदन में किसी कमी या त्रुटि को संसूचित किया है तो आवेदन की प्राप्ति की तारीख वह तारीख होगी जिसमें आवेदन की धारित स्थिति, कमी को दूर करने या त्रुटि को ठीक करने के बाद समयक रूप से पूरा करने पर प्राप्त किया गया है।

- (5) यदि आवेदन ठीक पाया गया है लेकिन यथास्थिति संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी यथास्थिति, आवश्यक अवसंरचना के न होने के आधार पर या अंतःराज्यिक/अंतरराज्यिक नेटवर्क में अधिशेष पारेषण क्षमता की अनुपलब्धताया इस विनियम के खण्ड (1) के अनुसार घोषणा को प्रस्तुत नहीं करने पर स्थायी विलयरेस देने से इंकार करता है तो ऐसे इंकारी को आवेदक को एनओएआर के माध्यम से ऐसी इंकारी के कारणों के साथ आवेदन की प्राप्ति की तारीख से यथास्थिति, तीन (3) कार्यदिवसों या सात (7) कार्यदिवसों के भीतर संसूचित करेगा।

परंतु यह कि जहां यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी, ने आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, जैसा लागू हो, यथास्थिति, तीन(3) कार्यदिवसों या सात(7) कार्यदिवसों की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन की प्राप्ति से दो(2) दिनों के अंदर आवेदन में किसी कमी या त्रुटि या इंकारी या स्थायी विलयरेस को संसूचित नहीं किया है तो एनओएआर अगले(2) कार्यदिवसों के भीतर, यथास्थिति ऐसी इंकारी के लिए या स्थायी विलयरेस जारी करने के उत्तर के लिए यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी को अनुस्मारक संदेश भेजेगा।

परंतु यह कि यदि यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी एनओएआर के माध्यम से भेजे गए अनुस्मारक संदेश का उत्तर देने में असफल रहता है तो स्थायी विलयरेस प्रदान की गई मानी जाएगी।

- (6) ऐसा निर्बाध पहुंच ग्राहक जिसको स्थायी विलयरेस जारी की गई है या जारी की गई समझी गई है, यह सुनिश्चित करेगा कि ओटीसी मार्केट में अल्पकालिक द्विपक्षीय एवं सामूहिक संव्यवहारों की किसी श्रेणी के अधीन सभी बोली (बोलियों) के लिए 15 मिनट के प्रत्येक टाइमब्लॉक में कुल मात्रा और/या पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) मार्केट यथास्थिति, स्थायी विलयरेस या समझी गई स्थायी विलयरेस की मात्रा, से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह कि यदि अल्पकालिक निर्बाध पहुंच ग्राहक किसी भी टाइमब्लॉक में स्थायी विलयरेस की मात्रा अधिक है, तो एनएलडीसी उक्त ग्राहक के, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी को सूचना देते हुए सात(7) दिनों की अवधि के लिए अल्पकालिक बाजार में सहभागिता से बहिष्कृत करेगा;

परंतु यह कि एनओएआर उक्त परन्तुक के अनुसार बहिष्कृत किए गए ऐसे अल्पकालिक निर्बाध पहुंच ग्राहकों की सूची भी प्रदर्शित करेगा।

(7) यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी पारेषण संक्षेपण के मामले में या विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित ग्रीड प्रचालन के हित में किसी निर्बाध पहुंच उपभोक्ता की बाबत जारी स्थायी आदेश की मात्रा (मेगावाट) या अवधि को पुनरीक्षित कर सकेगा।

#### 10. मूल विनियम के विनियम 9 (द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए अग्रिम अनुसूचीकरण के लिए प्रक्रिया) का संशोधन

10.1 मूल विनियम के विनियम 9 के खण्ड (1) में, शब्द "द्विपक्षीय संव्यवहार के लिए अग्रिम अनुसूचीकरण के लिए आवेदन को उस चौथे मास तक नोडल अभिकरण को प्रस्तुत किया जा सकेगा। शब्दों के स्थान पर "द्विपक्षीय संव्यवहार के लिए अग्रिम अनुसूचीकरण के लिए आवेदन को उस चौथे मास तक एनओएआर के माध्यम से नोडल अभिकरण को प्रस्तुत किया जा सकेगा" शब्द रखे जाएंगे।

10.2 मूल विनियम के विनियम 9 के खण्ड (2)(3) एवं (4) के उपखण्ड (ग) में " नोडल अभिकरण पहले मास की समाप्ति तक आवेदन पर आवेदक को अपनी स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सूचना देगा" शब्दों के स्थान पर, "नोडल अभिकरण आवेदक को एनओएआर के माध्यम से पहले मास की समाप्ति तक आवेदक पर अपनी स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सूचना देगा" शब्द रखे जाएंगे।

10.3 मूल विनियम के विनियम 9 के खण्ड (5) में "वह आवेदक को, लिखित में उसके कारण बताएगा" शब्दों के स्थान पर, "वह आवेदक को एनओएआर के माध्यम से लिखित में उसके कारण बताएगा" शब्द रखे जाएंगे।

#### 11. मूल विनियम के विनियम 10 (संकुलन प्रबंधन) का संशोधन

11.1. मूल विनियम के विनियम 10 में, "वह इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाएगा" शब्दों के स्थान पर "वह एनओएआर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाएगा" शब्द रखे जाएंगे।

#### 12. मूल विनियम के विनियम 12 (अनुसूचीकरण डेअहेड संव्यवहारों के लिए प्रक्रिया) का संशोधन

12.1 मूल विनियम के विनियम 12 में, शीर्षक "अनुसूचीकरण डेअहेड संव्यवहारों के लिए प्रक्रिया" के स्थान पर "अनुसूचीकरण डेअहेड द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए प्रक्रिया" रखे जाएंगे।

#### 13. मूल विनियम के विनियम 13 (आकस्मिकता में संव्यवहारों के अनुसूचीकरण के लिए प्रक्रिया) का संशोधन

13.1. मूल विनियम के विनियम 13 में शीर्षक "आकस्मिकता में संव्यवहारों की अनुसूचीकरण के लिए प्रक्रिया" को "अनुसूचीकरण आकस्मिक द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए क्रियाविधि" किया जाएगा।

13.2 मूल विनियम के विनियम 13 में "अल्पकालिक निर्बाध पहुंच और अनुसूचीकरण के लिए नोडल अभिकरण के लिए लागू" शब्दों के स्थान पर "एनओएआर के माध्यम से अल्पकालिक निर्बाध पहुंच और अनुसूचीकरण के लिए नोडल एजेंसी के लिए लागू" शब्द रखे जाएंगे।

#### 14. नया विनियम 13 का – सामूहिक संव्यवहारों के अनुसूचीकरण के लिए प्रक्रिया

14.1 मूल विनियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित एक नया विनियम "13क" जोड़ा जाएगा:

"सामूहिक संव्यवहारों के अनुसूचीकरण के लिए प्रक्रिया :

13क. पावर एक्सचेंज अपने प्लेटफार्म पर पता लगाए गए सामूहिक संव्यवहारों की अनुसूचीकरण के लिए एनओएआर के माध्यम से नोडल एजेंसी को आवेदन करेगा। नोडल एजेंसी विस्तृत प्रक्रियाओं के अनुसार पारेषण कॉरिडोर उपलब्धता पर आधारित सामूहिक संव्यवहारों की अनुसूचीकरण के लिए आवेदन को अनुमोदित करेगा या पावर एक्सचेंज को उसमें संशोधन करने की सलाह देगा।"

#### 15. मूल विनियम के विनियम 14 (अनुसूची का पुनरीक्षण) का संशोधन

15.1 मूल विनियम के विनियम 14 में, "अल्पकालिक ग्राहक द्वारा नोडल एजेंसी को किया गया।" शब्दों के स्थान पर "एनओएआर के माध्यम से अल्पकालिक ग्राहक द्वारा नोडल एजेंसी को किया गया" शब्द रखे जाएंगे।

#### 16. मूल विनियम के विनियम 15 (पारेषणसंक्षेपणों के मामले में कमी) का संशोधन

16.1 मूल विनियम के विनियम 15 के खण्ड (2) में, "प्रभावित अल्पकालिक ग्राहकों को संसूचित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "एनओएआर के माध्यम से प्रभावित अल्पकालिक ग्राहकों को संसूचित किया जाएगा" रखे जाएंगे।

#### 17. नया विनियम 18क

17.1 मूल विनियम के विनियम 18 के पश्चात् निम्नलिखित नया विनियम "18क" जोड़ा जाएगा।

“18क. इन विनियमों के अधीन संदेय सभी प्रभार, एनओएआर में उपलब्ध किए गए भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन प्रदत्त किए जाएंगे।”

#### 18. विनियम 25क का नया परंतुक

18.1 मूल विनियम के विनियम 25क में नया परंतुक निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

“परंतु यह कि जहां उल्लिखित प्रभारों का भुगतान, भुगतान की देय तारीख से 90 दिन से अधिक है की चूक है, तो इस प्रकार के मामले में आयोग के निर्देश प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा, और यथास्थिति, एनएलडीसी या संबंधित आरएलडीसी चूककर्ता कंपनी को अल्पकालिक निर्बाध पहुंच देने से इंकार करेगा यदि इस संबंध में प्रभावित कंपनी से अनुरोध प्राप्त होता है।”

#### 19. मूल विनियम के विनियम 27 (सूचना प्रणाली—राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र और प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र) का संशोधन

- 19.1 मूल विनियम के विनियम 27 में शीर्षक “सूचना प्रणाली—राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र और प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र” के स्थान पर “सूचना प्रणाली—एनओएआर” रखा जाएगा।
- 19.2 मूल विनियम के विनियम 27 में “राष्ट्रीय भार प्रेषण और प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र अलग वेब पृष्ठ शीर्षक ‘निर्बाध पहुंच सूचना’ में अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सूचना डालेगा।” शब्दों के स्थान पर “एनओएआर निम्नलिखित के लिए लेकिन सीमित नहीं सहित अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच के संबंध में सूचना देगा।” शब्द रखे जाएंगे।
- 19.3 मूल विनियम के विनियम 27क के खण्ड(क) में “द्विपक्षीय संव्यवहारों की सूची जिसके लिए सहमति प्रदान की गई है और उन कंपनियों की सूची जिनके लिए, यथास्थिति, सहमति या अनापत्ति या पूर्व स्थायी क्लियरेंस, उस माह के अंत तक प्रदान की गई है जिसमें इस प्रकार की सहमति या अनापत्ति या पूर्व स्थायी क्लियरेंस प्रदान किया गया, दर्शाया गया है।” शब्दों के स्थान पर, “उन कंपनियों की सूची जिनको स्थायी क्लियरेंस यह दर्शाते हुए माह के अंत तक प्रदान किया गया है।” शब्द रखे जाएंगे।
- 19.4 मूल विनियम के 27क के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) में “यथास्थिति, सहमति या अनापत्ति या पूर्व स्थायी क्लियरेंस की अवधि” शब्दों के स्थान पर “स्थायी क्लियरेंस की अवधि” शब्द रखे जाएंगे।
- 19.5 मूल विनियम के 27क के खण्ड (घ) में “यथास्थिति, सहमति या अनापत्ति या पूर्व स्थायी क्लियरेंस” शब्दों के स्थान पर “स्थायी क्लियरेंस” शब्द रखे जाएंगे।

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./499/18]

#### टिप्पण:

1. मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4, क्रम संख्या 10 में तारीख 7.2.2008 को अधिसूचित किए गए थे।
2. मूल विनियम को निम्नलिखित के माध्यम से संशोधित किया गया :
  - (i) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (संशोधन) विनियम 2009 संशोधित भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खण्ड 4, क्रम संख्या 10 में तारीख 29.5.2009 को अधिसूचित किया गया।
  - (ii) शुद्धिपत्र भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4, क्रम संख्या 10 में तारीख 10.6.2009 को अधिसूचित किया गया।
  - (iii) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2013 भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खण्ड 4, क्रम संख्या 237 में तारीख 11.9.2013 को अधिसूचित किया गया।
  - (iv) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (तृतीय संशोधन) विनियम 2015 भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खण्ड 4, क्रम संख्या 237 में तारीख 12.5.2015 को अधिसूचित किया गया।

- (v) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (चौथा संशोधन) विनियम 2016 भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खण्ड 4, क्रम संख्या 279 में तारीख 22.6.2016 को अधिसूचित किया गया।

## CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2019

**No. PM/NOAR/2016/CERC.**—In exercise of powers conferred by Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the "Principal Regulations") namely:-

#### 1. Short Title and Comments

- 1.1. These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Fifth Amendment) Regulations, 2018.
- 1.2. These regulations shall come into force with effect from the date to be separately notified by the Commission.

#### 2. Amendment to Regulation 2 of Principal Regulations

- 2.1. Following sub-clause shall be added after sub-clause (j) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations:

*“(j-b) ‘National Open Access Registry (NOAR)’ means the Registry as provided under Regulation 3A;”*

#### 3. New Regulation 3A - National Open Access Registry (NOAR)

- 3.1. New Regulation “3A” shall be added after Regulation 3 of the Principal Regulations as provided below:

**“National Open Access Registry (NOAR)**

*3A (1). NOAR shall be a common electronic platform for short term open access and shall discharge the following functions, namely:*

- i. To automate the administration of the short term open access in inter-state transmission system.*

- ii. *To provide single window electronic platform to the stakeholders, including short term customers, trading licensees, Power Exchanges, NLDC, RLDCs, SLDCs and Regional Power Committees in connection with short term open access in inter-state transmission system.*
  - iii. *To provide audit trail of the applications and dash board facility summarizing at any point of time the details of the applications made for short term open access to RLDCs or SLDCs, applications approved or rejected by RLDCs or SLDCs, and applications pending with RLDCs or SLDCs.*
  - iv. *To act as a repository of information related to short term open access in inter-state transmission including standing clearance issued by RLDCs or SLDCs, availability of transmission corridor, and short term open access granted to the open access customers etc. and make such information available to the stakeholders online.*
  - v. *To interface with the short term open access application software of the RLDCs and SLDCs for processing short-term inter-state open access transactions.*
  - vi. *To interface with the Power Exchange(s) for validation of standing clearance and processing of term-ahead and day-ahead transactions.*
  - vii. *To provide a payment gateway for making payments related to short term open access transactions and facilitate financial accounting and tracking of short term open access transactions.*
  - viii. *To facilitate generation of periodic reports for market monitoring and surveillance related activities.*
  - ix. *Any other functions, as assigned by the Commission from time to time.*
- (2). *The short term open access applications shall be processed through NOAR and information related to approvals or rejections of applications, revisions or curtailment of schedules, payment schedules, etc. shall be made available through the NOAR to the respective market participants including providing alerts through email or SMS or such other electronic mode of communication.*
- (3) *NLDC shall be the nodal agency for implementation and operation of NOAR and shall have the following responsibilities:*
- i. *To take all steps necessary to ensure cyber security compliance of NOAR in accordance with Cyber Security Policy of Government of India;*



- ii. *To put in place an appropriate disaster recovery mechanism for ensuring business continuity; and*
- iii. *To review the operations of NOAR from time to time and suggest changes required if any.*

*(4) Additional expenses incurred on account of implementing and operating the NOAR shall be allowed to be recovered under the provisions of CERC (Fees and Charges of RLDC and -other related matters) Regulations, 2009.”*

#### **4. Amendment to Regulation 4 (Detailed Procedure) of Principal Regulations**

4.1. Regulation 4 of the Principal Regulations shall be substituted as follows:

*“4. Subject to the provisions of these regulations, NLDC shall issue the detailed procedure to operationalise open access through NOAR and on any residual matter not covered under these regulations.”*

*Provided that NLDC shall carry out stakeholders’ consultation and obtain the approval of the Commission before issue of the detailed procedure.*

#### **5. New Regulation 5A**

5.1. New Regulation “5A” shall be added after Regulation 5 of the Principal Regulations as provided below:

*“5A. The processing of the short term open access applications for bilateral transactions by the nodal RLDC and for collective transactions through Power Exchange(s) by NLDC shall be carried out through the NOAR.”*

#### **6. New Regulation 5B – Registration in NOAR**

6.1. New Regulation “5B” shall be added after Regulation 5A of the Principal Regulations as provided below:

##### ***“Registration in NOAR***

*5B. (1) The short term open access applicant shall initially apply for registration in the NOAR in accordance with the detailed procedure.*

*(2) The application shall be accompanied by a registration fees of Rs. 5000/- .*

*(3) The applicant shall be registered within 7 working days from the date of receipt of application for registration.*

*(4) The registration shall be valid for a period of 3 years and may be renewed thereafter with the payment of renewal charges of Rs. 2000/-.”*

**7. Amendment to Regulation 6 (Submission of Short-Term Open Access Application) of Principal Regulations**

7.1. In the Clause (1) of Regulation 6 of the Principal Regulations the words “*shall make an application to the nodal agency*” shall be substituted with “*shall make an application to the nodal agency through NOAR*”.

**8. Amendment to Regulation 7 (Application Fee) of Principal Regulations**

8.1. Proviso to Regulation 7 shall be deleted.

**9. Amendment to Regulation 8 (Concurrence of State Load Despatch Centre for bilateral and collective transactions) of Principal Regulations**

9.1. Regulation 8 of the Principal Regulations shall be substituted as follows:

**“Standing Clearance by Load Despatch Centre for Short Term Transactions**

8. (1) *An online application, through the NOAR, shall be made by the short term open access applicant to the concerned RLDC or SLDC, for issuance of a ‘standing clearance’ for availing short term open access in inter-state transmission system for a pre-specified quantum and time period in accordance with the detailed procedures along with the following declaration:*
- i. A declaration in the format prescribed in the detailed procedure shall be submitted along with the application declaring that there is no other contract for sale or purchase, as the case may be, of the same power for which standing clearance has been applied for.*
  - ii. A declaration that necessary infrastructure for the time block wise metering and accounting in accordance with the provisions of Grid code in force, is in place.*
- (2) *While processing the application for standing clearance the concerned RLDC or SLDC as the case may be, shall verify the following, namely:*
- (i) Existence of infrastructure necessary for time-block wise energy metering and accounting in accordance with the provisions of the Grid code in force;*
  - (ii) Availability of surplus transmission capacity in the intra-State/inter-State network, as the case may be; and*
  - (iii) Submission of declaration according to the clause (1) of this regulation.*
- (3) *Where the existence of necessary infrastructure, availability of surplus transmission capacity in the inter-state transmission or intra-state transmission network as the case may be, and submission of declaration as required under clause (1) of this regulation have been established, the concerned RLDC or SLDC as the case may be, shall issue a standing clearance to the short term open access customer.*

*Provided that*

- i. *The concerned RLDC or SLDC as the case may be, shall issue the standing clearance within three (3) working days of receipt of such application.*
  - ii. *The standing clearance may be issued by the concerned RLDC or SLDC as the case may be, valid for a maximum period of three (3) months at a time after which a fresh application for issuance of standing clearance shall have to be made by the short term open access customer.*
  - iii. *When short-term open access has been applied for the first time by any entity, the buyer or the seller, the concerned RLDC or SLDC as the case may be, shall issue to the applicant standing clearance, within seven (7) working days of receipt of the application.*
- (4) *In case the concerned RLDC or SLDC as the case may be, finds that the application for standing clearance is incomplete or defective in any respect, it shall communicate the deficiency or defect to the applicant through NOAR within two (2) working days of receipt of application.*

*Provided that in cases where the concerned RLDC or SLDC as the case may be, has communicated any deficiency or defect in the application, the date of receipt of application shall be the date on which the application has been received duly completed after removing the deficiency or rectifying the defects, as the case may be.*

- (5) *In case the application has been found to be in order but the concerned RLDC or SLDC as the case may be, refuses to give the standing clearance on the grounds of non-existence of necessary infrastructure or unavailability of surplus transmission capacity in intra-state/inter-state network as the case may be, or non-submission of the declaration in accordance with clause (1) of this regulation then such refusal shall be communicated to the applicant through NOAR within the period of three (3) working days or seven (7) working days as the case may be, from the date of receipt of the application along with reasons for such refusal.*

*Provided that where the concerned RLDC or SLDC as the case may be, has not communicated any deficiency or defect in the application within two (2) days from the receipt of the application or refusal or standing clearance, as the case may be, within the specified period of three (3) working days or seven (7) working days, as applicable, from the date of receipt of the application, the NOAR shall issue a reminder message to the concerned RLDC or SLDC as the case may be, to respond to the application for refusal or issuance of standing clearance, as the case may be, within the next two (2) working days.*

*Provided further that if the concerned RLDC or SLDC as the case may be, fails to respond to the reminder message sent through NOAR, then the standing clearance shall be deemed to have been granted.*

- (6) *The open access customer to whom the standing clearance has been issued or deemed to have been issued, shall ensure that aggregate quantum in each time block of 15 minutes for all the bid(s) under any of the categories of short term bilateral and collective transactions in OTC market and/or Power Exchange(s) market shall*

*not exceed the quantum of standing clearance or deemed standing clearance, as the case may be.*

*Provided that if a short term open access customer exceeds the quantum of the standing clearance in any time block, NLDC shall debar the said customer from participating in short term market for a period of seven (7) days under intimation to concerned RLDC or SLDC.*

*Provided further that NOAR shall also display a list of such short term open access customers debarred in terms of the above proviso.*

*(7) The concerned RLDC or SLDC as the case may be, may revise the quantum (MW) or period of the standing clearance issued in respect of any open access customer in case of transmission constraint or in the interest of secure grid operation in accordance with the detailed procedure.’’*

#### **10. Amendment to Regulation 9 (Procedure for Advance Scheduling for bilateral transactions) of Principal Regulations**

10.1. In the Clause (1) of Regulation 9 of the Principal Regulations the words “*application for advance scheduling for a bilateral transaction may be submitted to the nodal agency up to the fourth month*” shall be substituted with “*application for advance scheduling for a bilateral transaction may be submitted to the nodal agency through NOAR up to the fourth month*”.

10.2. In the Sub-Clause (c) of Clause (2), (3) & (4) of Regulation 9 of the Principal Regulations the words “*nodal agency shall convey its acceptance or otherwise to the applicant*” shall be substituted with “*nodal agency shall convey its acceptance or otherwise to the applicant through NOAR*”.

10.3. In the Clause (5) of Regulation 9 of the Principal Regulations the words “*it shall convey its reasons to the applicant in writing*” shall be substituted with “*it shall convey its reasons to the applicant through NOAR*”.

#### **11. Amendment to Regulation 10 (Congestion management) of Principal Regulations**

11.1. In the Regulation 10 of the Principal Regulations the words “*it shall conduct electronic bidding*” shall be substituted with “*it shall conduct electronic bidding through NOAR*”.

#### **12. Amendment to Regulation 12 (Procedure for scheduling day ahead transactions) of Principal Regulations**

12.1. In the Regulation 12 of the Principal Regulations the heading “*Procedure for scheduling day ahead transactions*” shall be substituted with “*Procedure for scheduling day ahead bilateral transactions*”.

#### **13. Amendment to Regulation 13 (Procedure for scheduling of transactions in a contingency) of Principal Regulations**

13.1. In the Regulation 13 of the Principal Regulations the heading “*Procedure for scheduling of transactions in a contingency*” shall be substituted with “*Procedure for scheduling contingency bilateral transactions*”.

13.2. In the Regulation 13 of the Principal Regulations the words “*apply to the nodal agency for short-term open access and scheduling*” shall be substituted with “*apply to the nodal agency for short-term open access and scheduling through NOAR*”.

#### **14. New Regulation 13A – Procedure for scheduling collective transactions**

14.1. New Regulation “13A” shall be added after Regulation 13 of the Principal Regulations as provided below:

*“Procedure for scheduling collective transactions*

*13A. The Power Exchange shall make an application to the nodal agency through the NOAR for scheduling of the collective transactions discovered on its platform. The nodal agency shall approve or advise the Power Exchange to revise the application for scheduling of collective transactions based on the transmission corridor availability in accordance with the detailed procedures.”*

#### **15. Amendment to Regulation 14 (Revision of Schedule) of Principal Regulations**

15.1. In the Regulation 14 of the Principal Regulations the words “*made to the nodal agency by the short term customer*” shall be substituted with “*made to the nodal agency by the short term customer through NOAR*”.

#### **16. Amendment to Regulation 15 (Curtailement in case of transmission constraints) of Principal Regulations**

16.1. In the clause (2) of Regulation 15 of the Principal Regulations the words “*be conveyed to the affected short-term customers*” shall be substituted with “*be conveyed to the affected short-term customers through NOAR*”.

#### **17. New Regulation 18A**

17.1. New Regulation “18A” shall be added after Regulation 18 of the Principal Regulations as provided below:

*“18A. All charges payable under these regulations shall be paid online through the payment gateway made available in the NOAR.”*

#### **18. New Proviso to Regulation 25A**

18.1. New proviso to Regulation 25A of the Principal Regulations shall be added as provided below:

*“Provided that where the default in payment of the charges as mentioned above exceeds 90 days from the due date of payment, directions of the Commission shall not be required to be obtained in such cases and the NLDC or concerned RLDC, as the case may be, shall deny short term open access to the defaulting entity if request in this regard is received from the affected entity.”*

**19. Amendment to Regulation 27 (Information System-National Load Despatch Centre and Regional Load Despatch Centre) of Principal Regulations**

19.1. In the Regulation 27 of the Principal Regulations the heading *“Information System-National Load Despatch Centre and Regional Load Despatch Centre”* shall be substituted with *“Information System-NOAR”*.

19.2. In the Regulations 27 of the Principal Regulations the words *“National Load Despatch Centre and each Regional Load Despatch Centre shall post the following information on their website in a separate web page titled “Open access information”* shall be substituted with *“NOAR shall give information regarding open access in interstate transmission including but not limited to the following:”*

19.3. In the clause (a) of Regulations 27A of the Principal Regulations the words *“List of bilateral transactions for which concurrence has been granted and list of entities to whom concurrence or no objection or prior standing clearance, as the case may be, has been granted till the end of the month in which such concurrence or no objection or prior standing clearance has been granted, indicating:”* shall be substituted with *“List of entities to whom standing clearance, has been granted till the end of the month indicating:”*

19.4. In the sub-clause (ii) of clause (a) of Regulations 27A of the Principal Regulations the words *“Period of concurrence or no objection or prior standing clearance, as the case may be”* shall be substituted by *“Period of standing clearance”*.

19.5. In the clause (d) of Regulations 27A of the Principal Regulations the words *“concurrence or no objection or prior standing clearance, as the case may be”* shall be substituted by *“standing clearance”*.

**SANOJ KUMAR JHA, Secy.**

[ADVT.-III/4/Exty./499/18]

**Note:**

1. The Principal Regulations were notified on 7.2.2008 in the Gazette of India Extraordinary Part-III, Section 4, Sr. No. 10.
2. The Principal Regulations were amended vide

- i. Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Amendment) Regulations, 2009 notified on 29.5.2009 in Part III, Section 4, Sr. No.10 of the Gazette of India Extraordinary.
- ii. Corrigendum notified on 10.6.2009 in Gazette of India Extraordinary Part III, Section 4, Ser. No. 10.
- iii. Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Second Amendment) Regulations, 2013, notified on 11.9.2013 in the Gazette of India Extraordinary Part III, Section 4, Sr. No. 237.
- iv. Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Third Amendment) Regulations, 2015, notified on 12.5.2015 in the Gazette of India Extraordinary Part-III, Section 4, Sr. No. 237.
- v. Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Fourth Amendment) Regulations, 2016, notified on 22.6.2016 in the Gazette of India Extraordinary Part III, Section 4, Sr. No. 279.